न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना (कोर्ट कैम्प–कोलिया)

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 293/2021 दायर दिनाँक 14.10.2021

वादीगण		प्रतिवादी
1. ओमप्रकाश पुत्र बंकटलाल 2. सत्यनारायण पुत्र बंकटलाल 3. बजरंगलाल पुत्र बंकटलाल 4. कमल किशोर पुत्र बंकटलाल 5. गणपतलाल पुत्र बंकटलनाल 6. सोनी देवी पत्नी बंकटलाल सभी जाति ब्राहम्ण निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व बंटवारा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीर चतुर्वेदी वकील वादीगण।

–ः निर्णय ः–

दिनाँक 14.10.2021

वादीगण द्वारा वाद प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 (कोर्ट कैम्प–कोलिया) में पेश किया। वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण सं0 01 से 05 सभी बंकटलाल के पुत्रगण है तथा वादीया सं0 06 बंकटलाल की पत्नी है। वाके सरहद कोलिया में अवस्थित भूमि खसरा सं0 1595/1873 रकबा 0.0600 हैक्टयर, खसरा सं0 201 रकबा 1.2600 हैक्टयर, खसरा सं0 338 रकबा 2.7000 हैक्टयर, खसरा सं0 343 रकबा 2.9200 हैक्टयर वादीगण की पैत्रक भूमियां है। वादीगण के कब्जे काश्त की राजस्व भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा आये दिन कानूनी अडचने उत्पन्न होने से तथा सभी पारस्परिक सहमति से आपस में बंटवारा करवाने हाजिर आये है। वादी सं0 03 बजरंगलाल का नाम वादग्रस्त राजस्व भूमि में पूर्व से दर्ज हो रखा है परन्तु भु–बन्दोबस्त विभाग ने खतौनी तैयार करते समय सहवन से छोड दिया है। जिससे जरिये घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा किया जाना कानूनी है।

वादीगण ने आपसी पारिवारिक समझौता से वादग्रस्त राजस्व भूमि का वर्षो पूर्व मौखिक एवं बाहमी बंटवारा कर लिया है परन्तु मौखिक बंटवारा अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवारा क[illegible]। जो निम्न प्रकार से सभी का अलग–अलग राजस्व रेकर्ड में [illegible] जावें।

1. वादी संख्या 01 ओम[illegible] रकबा 0.56 हैक्टयर, खसरा [illegible]
2. वादी संख्या 02 सत्यनारायण के बट में :– खसरासं0 338 रकबा 1.01 हैक्टयर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

3. वादी सं0 03 बजरंगलाल के बंट में:— खसरा सं0 343 रकबा 2.47 हेक्टयर।
4. वादी सं0 04 कमल किशोर के बंट में :— खसरा सं0 338 रकबा 1.13 हैक्टयर।
5. वादी सं0 05 गणपतलाल के बंट में :— खसरा सं0 1595/1873 रकबा 0.0600 हैक्टयर, खसरा सं0 201 रकबा 1.2600 हैक्टयर।
6. वादी सं0 06 सोनी देवी पत्नी स्व0 बंकटलाल का नाम खातेदारी से विलोपित करते हुए खातेदारी निरस्त फरमाया जावें।

यह है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावें की वाद पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित अनुसार राजस्व भूमि का घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व बंटवारा किया जाकर सभी के अलग–अलग खातेदारी में पांचों भाईयों के दर्ज की जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने का निर्णय जारी फरमावें।

प्रकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 (कोर्ट कैम्प–कोलिया) में पेश हुआ। सभी पक्षकारान दावा अनुसार डिक्री किये जाने पर सहमत है। मौके पर भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर सभी पक्षकार सहमत है।

भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादीगण का दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद कोलिया के खसरा सं0 1595/1873 रकबा 0.0600 हैक्टयर, खसरा सं0 201 रकबा 1.2600 हैक्टयर, खसरा सं0 338 रकबा 2.7000 हैक्टयर, खसरा सं0 343 रकबा 2.9200 हैक्टयर का बंटवारा भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया द्वारा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार कर वादीगण को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 06 का नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया का बंटवारा प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 14.10.202[illegible] को [illegible] इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:11 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 293/2021 दायर दिनाँक 14.10.2021

वादीगण		प्रतिवादी
1. ओमप्रकाश पुत्र बंकटलाल 2. सत्यनारायण पुत्र बंकटलाल 3. बजरंगलाल पुत्र बंकटलाल 4. कमल किशोर पुत्र बंकटलाल 5. गणपतलाल पुत्र बंकटलनाल 6. सोनी देवी पत्नी बंकटलाल सभी जाति ब्राहम्ण निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदार एवं बंटवारा
अन्तर्गत धारा 53, 88 R.T. Act.

दिनाँक 14.10.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर चतुर्वेदी वकील वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद कोलिया के खसरा सं0 1595/1873 रकबा 0.0600 हैक्टयर, खसरा सं0 201 रकबा 1.2600 हैक्टयर, खसरा सं0 338 रकबा 2.7000 हैक्टयर, खसरा सं0 343 रकबा 2.9200 हैक्टयर का बंटवारा भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया द्वारा प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार कर वादीगण को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 06 का नाम उपरोक्त खसरा नम्बरान से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया का बंटवारा प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.10.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:59:11 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner